

पत्रांक : 510 / संखानि-स्वीकृति/पीडी0एस0/2018-2019

दिनांक : 17-8-19

रिटेण्डरिंग / ई-निविदा सूचना(संशोधित)

कार्यालय सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, चित्रकूटधाम सम्भाग, बांदा

खाद्यायुक्त महोदय के कार्यालय पत्र सं0-2228/आ0वि0शा0/हैण्ड0परि0/नीति/2017-2018 दिनांक 28.04.2018, पत्रांक 3258/आ0वि0शा0/है0परि0/नीति/2017 दिनांक 11.06.2018, पत्रांक 4709/आ0वि0 शा0/है0परि0/नीति/2017 दिनांक 18.08.18, पत्रांक 5209/आ0वि0शा0/है0परि0/नीति/2017 दिनांक 14.09.2018, पत्रांक 1394/आ0 वि0शा0/हैण्ड0परि0/नीति/2017 दिनांक 12.03.2019, पत्रांक 2071/आ0आ0वि0/हैण्ड0परि0/नीति/ विविध/2018 दिनांक 22.04.2019 व पत्रांक 2111/आ0आ0वि0/हैण्ड0परि0/नीति/ 2017 दिनांक 24.04.2019 तथा शासनादेश संख्या-970/29-6-2018-85-सा/17 दिनांक 20.04.2018, शासनादेश संख्या-1440/29-6-2018-85-सा/ 2017 दिनांक 11.06.2018, शासनादेश संख्या-1906/29-6-2018-85-सा/2017 दिनांक 16.08.2018, शासनादेश संख्या-1974/29-6-2018-85सा/17 दिनांक 14.09.2018 तथा शासनादेश संख्या 251/29-6-2019-85सा/17 दिनांक 10.03.2019 द्वारा खाद्य विभाग में हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य हेतु निर्धारित अर्हता, मानकों, शर्तों एवं उपबन्धों के अधीन श्रेणी 'ए' व 'बी' में पंजीकृत ठेकेदारों से कार्यालय के पत्र सं0 822 दिनांक 29.07.2019 द्वारा 17वीं बार चित्रकूटधाम सम्भाग में खाद्य विभाग की विपणन शाखा के समस्त ब्लाक स्तरीय गोदामों बड़ोखर खुर्द, खुरहण्ड, नरैनी, बिसण्डा, कमासिन, जसपुरा, तिन्दवारी, अतर्रा, बबेरू, कर्वी, पहाड़ी, मानिकपुर, मऊ, महोबा, पनवाड़ी, चरखारी, कबरई, कुलपहाड़, हमीरपुर, गोहाण्ड, कुरारा, राठ, सरीला, मुस्करा, भरूआसुमेरपुर व मौदहा पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत स्टेज-2 में हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य हेतु सीधे ई-टेंडर के माध्यम से दिनांक 06.08.2019 को अपरान्ह 01:00 बजे तक ई-निविदाएं आमंत्रित की गयी थी। उक्त तिथि तक स्टेज-2 अन्तर्गत हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य हेतु किसी भी केन्द्र के लिए औचित्यपूर्ण दरें प्राप्त नहीं हुई हैं। चित्रकूटधाम सम्भाग में खाद्य विभाग की विपणन शाखा के ब्लाक स्तरीय गोदामों बड़ोखर खुर्द, खुरहण्ड, नरैनी, कमासिन, जसपुरा, तिन्दवारी, अतर्रा, बबेरू, कर्वी, पहाड़ी, मानिकपुर, मऊ, महोबा, पनवाड़ी, चरखारी, कबरई, कुलपहाड़, हमीरपुर, गोहाण्ड, कुरारा, राठ, सरीला, मुस्करा, भरूआसुमेरपुर व मौदहा पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत स्टेज-2 में हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य हेतु सीधे ई-टेंडर के माध्यम से दिनांक 26.08.2019 को अपरान्ह 02:00 बजे तक पुनः ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। विवरण निम्नवत है :-

कार्य का प्रकार		नियत तिथि
ई-टेंडर छोड़ने (अपलोड) की तिथि एवं समय		दिनांक 17.08.2019 को अपरान्ह 02:00 बजे से दिनांक 26.08.2019 को अपरान्ह 02:00 बजे तक
ई-टेंडर में टेक्निकल बिड खोलने की तिथि एवं समय		दिनांक 26.08.2019 को सायं 03:00 बजे
'ए' व 'बी' श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार वाणिज्यिक छोटे वाहन की शर्त पूर्ण करने पर उक्त कार्य हेतु टेंडर डाल सकेंगे।		RIGS/NEFT के माध्यम से इलाहाबाद बैंक की सिलिल लाइन शाखा, बांदा में सम्भागीय लेखाधिकारी (खाद्य), चित्रकूटधाम सम्भाग, बांदा के पदनाम से खुलेखातासं0-50150392876IFSC ALLA0212242 में। रसीद/साक्ष्य अपलोड करना होगा।
प्रतिभूति धनराशि	'ए' व 'बी' श्रेणी हेतु धरोहर राशि	प्रत्येक निविदा प्रपत्र मूल्य
एक माह के बिल के समतुल्य/दो माह के बिल के समतुल्य	रु0 12,000 (प्रति ब्लाक)	रु0 250,00+45.00 कुल रु0 295.00 (18 प्रतिशत जीएसटी0 सहित) (प्रति ब्लाक)

नागद तथा चेक के माध्यम से प्रस्तुत धनराशि स्वीकार नहीं होगी तथा बिना निविदा शुल्क एवं धरोहर धनराशि के किसी भी निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। निविदा प्रपत्र, शर्तों एवं अन्य विवरण सीधे ऑन-लाइन ई-टेंडर पोर्टल <http://etender.up.nic.in> पर उक्त निर्धारित तिथि तक प्राप्त/अपलोड किये जा सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त निविदाएं अस्वीकृत मानी जायेगी। निविदा प्रपत्र, निविदा की शर्तों, शुल्क, धरोहर धनराशि एवं अन्य विवरण अधोहस्ताक्षरी कार्यालय, जनपद के जिला खाद्य विपणन अधिकारी कार्यालय व उ0प्र0 सरकार के ई-टेंडर पोर्टल <http://etender.up.nic.in> पर देखी जा सकती हैं। निविदा सम्बन्धी समस्त प्रक्रिया निविदा समिति द्वारा सं0खा0नि0 कार्यालय, कताई मिल, चिल्ला रोड, बांदा में सम्यल करायी जायेगी। निविदा सम्बन्धी प्रपत्रों को Pdf फॉर्म में स्कैन कर पठनीय प्रति ही अपलोड की जाय। अपठनीय प्रति होने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, चित्रकूटधाम सम्भाग, बांदा को बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है जिस पर किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

उक्त कार्य हेतु शासन/खाद्यायुक्त द्वारा निर्गत अध्यावधिक आदेश/निर्देश भी लागू होंगे। निविदा में अंकित शेष नियम एवं शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

(देवीप्रसाद)

सम्भागीय खाद्य नियंत्रक  
चित्रकूटधाम सम्भाग, बांदा

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1 आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, जवाहर मदन, लखनऊ।
- 2 आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा।
- 3 जिलाधिकारी, बांदा, महोबा, हमीरपुर एवं चित्रकूट।
- 4 समस्त सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, उत्तर प्रदेश।
- 5 सम्भागीय लेखाधिकारी (खाद्य), चित्रकूटधाम सम्भाग, बांदा।
- 6 जिला पूर्त अधिकारी, बांदा, चित्रकूट, महोबा एवं हमीरपुर।
- 7 जिला खाद्य विपणन अधिकारी, बांदा, चित्रकूट, महोबा एवं हमीरपुर।

अन्य समस्त विभागों में कार्यरत ठेकेदारों एवं ब्लाक गोदामों पर परिवहन कार्य हेतु एकांकित होने वाले जो ट्रेक्टर ट्राली/छोटे वाहन का मालिकाना हक रखते हों, व्यक्ति/असंगठित फर्म को भी विभाग में पंजीकरण कराने हेतु उन्हें नयी संशोधित नीति व शर्तों एवं दरों के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से बताते हुए प्रोत्साहित कर सम्बन्धित कार्य किये जाने हेतु निविदा में प्रतिभाग करया जाय तथा उक्त आमंत्रित निविदा का अपने कार्यालय में सूचना बरसा करायें व व्यापक प्रसार-प्रसार करायें।

सम्भागीय खाद्य नियंत्रक  
चित्रकूटधाम सम्भाग, बांदा

17-08-2019